उ0प्र0 कृषि अनुसंधान परिषद

U.P. Council of Agricultural Research

अष्टम तल, किसान मण्डी भवन, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-226 010

8th Floor, Kisan Mandi Bhawan, Vibhuti Khand, Gomti Nagar, Lucknow- 226010

पत्रांकः 970/एनआरएम/डब्लूबीएसएलएएजी/पीएल/2021 दिनॉकः 19-10-2023

दिनांक	:	19 अक्टूबर, 2023
समय	:	12:00 बजे
स्थान	:	उपकार सभाकक्ष
उपस्थिति	:	संलग्न

मौसम आधारित राज्य स्तरीय कृषि परामर्श समूह (क्रॉप वेदर वॉच ग्रुप) की चौदहवीं बैठक की कृषकों के उपयोगार्थ संस्तुतियॉ

क्रॉप वेदर वॉच ग्रुप की वर्ष 2023-24 की चौदहवीं बैठक श्री पियूष कुमार शर्मा, सचिव उ.प्र. कृषि अनुसंधान परिषद की अध्यक्षता में दिनांक 19 अक्टूबर, 2023 को परिषद के सभाकक्ष में सम्पन्न हुई। बैठक में आंचलिक भारतीय मौसम विज्ञान केन्द्र, अमौसी, लखनऊ के मौसम वैज्ञानिक; नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौ. विश्वविद्यालय, अयोध्या के मौसम वैज्ञानिक व धान प्रजनक; शुआट्स, प्रयागराज के मौसम वैज्ञानिक; भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, लखनऊ; गन्ना विभाग; उद्यान विभाग; पशुपालन विभाग; मत्स्य विभाग तथा परिषद के अधिकारियों/वैज्ञानिकों ने भाग लिया। उक्त के अतिरिक्त बैठक में रानी लक्ष्मी बाई केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, झांसी के तिलहन व दलहन वैज्ञानिक; बांदा कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, बांदा के मौसम वैज्ञानिक व कीट वैज्ञानिक; सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौ. विश्वविद्यालय, मेरठ के मौसम वैज्ञानिकों द्वारा ऑनलाइन प्रतिभाग किया।

आगामी सप्ताह (20 से 26 अक्टूबर, 2023) का मौसम पूर्वानुमान

भारत मौसम विज्ञान विभाग से प्राप्त मौसम पूर्वानुमान के अनुसार आगामी सप्ताह (20 से 26 अक्टूबर, 2023) के दौरान प्रदेश का मौसम सामान्यतया शुष्क रहने की संभावना है। इस सप्ताह के दौरान पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अधिकांश भागों में अधिकतम तापमान सामान्य अथवा सामान्य से कम जबकि पूर्वी उत्तर प्रदेश के अधिकांश भागों में यह सामान्य अथवा सामान्य से अधिक रहने की संभावना है। इसी क्रम में भावर तराई कृषि जलवायु अंचल का अधिकतम तापमान 28-30 डिग्री सेल्सियस; विन्ध्य, पश्चिमी एवं मध्य पश्चिमी मैदानी कृषि जलवायु अंचलों में अधिकतम तापमान 30-32 डिग्री सेल्सियस जबकि प्रदेश के अन्य कृषि जलवायु अंचलों में अधिकतम तापमान 32-34 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है।

वहीं इस सप्ताह के दौरान दक्षिणी पश्चिमी अर्द्धशुष्क मैदानी तथा मध्य पश्चिमी मैदानी कृषि जलवायु अंचलों में न्यूनतम तापमान सामान्य अथवा सामान्य से अधिक रहने जबकि प्रदेश के अन्य कृषि जलवायु अंचलों में सामान्य अथवा सामान्य से कम रहने की संभावना है। इस दौरान भावर तराई कृषि जलवायु अंचल में न्यूनतम तापमान 13-16 डिग्री सेल्सियस तथा उत्तर पूर्वी मैदानी कृषि जलवायु अंचल में न्यूनतम तापमान 18-20 डिग्री सेल्सियस जबकि प्रदेश के अन्य कृषि जलवायु अंचलों में यह 16-18 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है।

द्वितीय सप्ताह (27 अक्टूबर से 02 नवम्बर, 2023) का मौसम दृष्टिकोण

भारत मौसम विज्ञान विभाग से प्राप्त मौसम दृष्टिकोण के अनुसार द्वितीय सप्ताह (27 अक्टूबर से 02 नवम्बर, 2023) के दौरान प्रदेश के समस्त कृषि जलवायु अंचलों में अधिकतम एवं न्यूनतम तापमान सामान्य अथवा सामान्य से अधिक रहने की संभावना है। इसी क्रम में भावर तराई कृषि जलवायु अंचल का अधिकतम तापमान 28-30 डिग्री सेल्सियस; पश्चिमी एवं मध्य पश्चिमी मैदानी कृषि जलवायु अंचलों में अधिकतम तापमान 30-32 डिग्री सेल्सियस जबकि प्रदेश के अन्य कृषि जलवायु अंचलों में अधिकतम तापमान 32-34 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है।

इस दौरान भावर तराई कृषि जलवायु अंचल में न्यूनतम तापमान 13-16 डिग्री सेल्सियस तथा उत्तर पूर्वी मैदानी एवं पूर्वी मैदानी कृषि जलवायु अंचलों में न्यूनतम तापमान 18-20 डिग्री सेल्सियस जबकि प्रदेश के अन्य कृषि जलवायु अंचलों में यह 16-18 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है।

मानसून ऋतु (01 जून से 30 सितम्बर, 2023) के दौरान प्रादेशिक वर्षा

01 जून से 30 सितम्बर, 2023 तक प्रदेश में मानसून के दौरान औसत वर्षा 746.2 मिमी के दीर्घकालिक औसत के सापेक्ष 619.3 मिमी. प्राप्त हुई है जो सामान्य वर्षा का 83 प्रतिशत है। दक्षिण पश्चिम मानसून दिनांक 30 सितम्बर, 2023 को प्रदेश के पश्चिमी भाग से वापस लौटना आरंभ करके दिनांक 09 अक्टूबर, 2023 को संपूर्ण प्रदेश से वापस लौट गया।

प्रदेश में मौसम के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में किसानों को अगले दो सप्ताह हेतु कृषि प्रबन्धन के लिए निम्नलिखित सुझाव दिये जाते हैं:-

- खरीफ फसलों की कटाई के बाद फसल अवशेष कदापि न जलायें। इनको लगभग 20 कि.ग्रा. प्रति एकड़ यूरिया की दर से मिट्टी पलटने वाले हल से जुताई/पलेवा के समय मिला देने से फसल अवशेष लगभग 20 से 30 दिन के भीतर जमीन में सड़ जाते हैं। कृषि विभाग के बीज व कृषि रक्षा केन्द्रों से डीकम्पोजर प्राप्त कर फसल अवशेषों को खेत में सड़ाया जा सकता है।
- रबी फसलों की बुवाई के लिये चयनित किस्म का स्वस्थ, शुद्ध एवं प्रमाणित बीज का ही प्रयोग करें। यदि प्रमाणित बीज उपलब्ध न हो तो बीज शोधन के बाद ही बुवाई करें।
- आलू व गन्ने की बुवाई के लिये मौसम अनुकूल है अतः युद्धस्तर पर बुवाई करें।
- शरदकालीन गन्ना के साथ अन्तःफसल के रूप में आलू, लहसुन, पीली सरसों, सब्जी मटर, मसूर आदि की अन्तःफसली खेती अवश्य करें। अन्तःफसल की फसल ज्यादा वानस्पतिक फैलाव वाली नहीं होनी चाहिये।

धान की खेती

- धान की बालियों का सुनहरा रंग प्राप्त होने की अवस्था में कटाई करें अन्यथा दाना बिखरने से उत्पादकता में कमी आ सकती है। कटाई के बाद धान को सुरक्षित व सूखे स्थान पर रखें।
- जिन कृषकों ने बीज के लिये धान की फसल ली है उन्हें सलाह दी जाती है कि वह धान की देर से पकने वाली किस्मों में खेत से अवांछित पौधों को हटा (रोगिंग) दें।
- गंधी कीट बाली की दुग्धावस्था में तथा सैनिक कीट बाली की परिपक्वता अवस्था में लगता है। गंधी कीट 1-2 कीट प्रति पुंज तथा सैनिक कीट की 4-5 सूड़ी प्रति वर्ग मी. दिखाई देने पर कार्बोफ्यूरॉन 0.3 प्रतिशत सी.जी. 25 कि.ग्रा. अथवा मैलाथियान 5 प्रतिशत धूल 20-25 किग्रा. का प्रति हे. की दर से सुबह के समय बुरकाव करें।
- कटाई से पहले धान में कण्डुआ रोग से ग्रसित पौधों को उखाड़कर खेत से निकाल दें।

तिलहनी फसलों की खेती

- राई/सरसों की सिंचित क्षेत्रों के लिये संस्तुत किस्मों यथा नरेन्द्र अगेती राई-4, रोहिणी, माया, उर्वशी, बसंती (पीली), नरेन्द्र स्वर्णा-राई-8, नरेन्द्र राई (एन.डी.आर.-8501, असिंचित दशा में वरूणा (टी 59) एवं वैभव तथा लवणीय व क्षारीय मृदा में नरेन्द्र राई, सी.एस.-52, सी.एस.-54, सी.एस.-56, पूसा सरसों-21, पूसा सरसों-24, पूसा सरसों-28, पूसा सरसों-29, पूसा सरसों-30, पूसा-0031, आर.एच.-749, सी.एस.-58, सी.एस.-60, पूसा सरसों-32, आजाद महक, सुरेखा की बुआई 31 अक्टूबर तक अवश्य कर लें। विलम्ब से बुवाई करने के लिये सरसों की वरदान अथवा आर्शीवाद प्रजाति का चयन करें।
- क्षारीय/लवणीय भूमि हेतु सरसों की सी.एस.-52, नरेन्द्र राई, सी.एस.-54 अथवा सी.एस.-58 किस्मों का चयन करें।
- अलसी की बीज उद्देशीय उन्नतिशील किस्मों यथा रजनी, यूटेरा अलसी, जे.एल.एस.-95, मऊ आजाद, शारदा, शेखर, पद्मिनी, उमा, इंदू, उत्तेरा अलसी-2, राजन तथा कोटा अलसी-6 तथा द्विउद्देशीय किस्मों यथा रूचि, पार्वती तथा रश्मि की बुवाई करें।
- उ.प्र. हेतु संस्तुत कुसुम की उन्नतिशील किस्मों के 65 तथा कुसुम 305 की बुवाई करें।

दलहनी फसलों की खेती

- दलहनी फसलों के बीज शोधित एवं उपचारित न होने की स्थिति में राइजोबियम कल्चर तथा पी.एस.बी. से उपचारित करने के बाद ही बुवाई करें। 100 कि.ग्रा. डी.ए.पी. के साथ 20 कि.ग्रा. गंधक प्रति हे. की दर से बुवाई के समय प्रयोग करें।
- चना की सम्पूर्ण उ.प्र. हेतु देशी संस्तुत किस्मों यथा अवरोधी, पूसा–256, के.डब्लू.आर.–108, डी.सी.पी. 92–3, के.डी.जी.–1168, आई.पी.सी.–2004–98, पूर्वी उ.प्र. हेतु संस्तुत प्रजाति गुजरात चना–4, मैदानी क्षेत्रों हेतु जाकी–9218, सी.एस.जे.–515, जी.एन.जी.–2144, जी.एन.जी.–2171, पंत ग्राम–5, वी.जी. –3043, आई.पी.सी.–2004–1, पश्चिमी उ.प्र. हेतु आधार (आर.एस.जी.–963), डब्लू.सी.जी.–1 तथा बुन्देलखण्ड हेतु संस्तुत किस्मों राधे व जे.जी.–16 तथा काबुली चना की सम्पूर्ण उ.प्र. हेतु संस्तुत प्रजाति एच. के–94–134, फूल विक्रम (जी–08108) पूर्वी उ.प्र. हेतु पूसा–1003, पश्चिम उ.प्र. हेतु चमत्कार (वी.जी.–1053) तथा बुन्देलखण्ड हेतु संस्तुत जे.जी.के.–1, उज्जवल व शुभ्रा किस्मों की बुवाई करें।
- मटर की सम्पूर्ण उ.प्र. हेतु संस्तुत किस्मों मालवीय मटर–15, आई.पी.एफ.डी. 6–3, आई.पी.एफ.डी. 9–2 आई.पी.एफ.डी. 12–8, आई.पी.एफ. 4–9, आई.पी.एफ.डी. 13–2, एच.एफ.पी.–1428, पूर्वी उत्तर प्रदेश हेतु पूसा प्रभात, पश्चिमी उ.प्र. हेतु जय, हरियाल, पंत पी–42, अमन, पंत पी.–250, मध्य क्षेत्र हेतु आई.पी.एफ. डी. 10–12, पंत पी–243, उ.पू. मैदानी क्षेत्र के लिये दंतीवाडा फील्ड पी–1, एच.एफ.पी.–529 तथा बुंदेलखण्ड क्षेत्र हेतु आदर्श, प्रकाश, आई.पी.एफ.डी. 11–5, आई.पी.एफ.डी. 12–2 तथा आई.पी.एफ.डी.–2014–2 किस्मों की बुवाई करें।
- निचले क्षेत्रों में उतेरा पद्धति अनुसार धान की कटाई के 15 दिन पहले मसूर की बुवाई करें।
- मसूर की सम्पूर्ण उ.प्र. हेतु संस्तुत किस्मों यथा नरेन्द्र मसूर–1, डी.पी.एल.–62, पंत मसूर–5, शेखर–3, शेखर–2, एच.यू.एल.–57, के.एल.बी. 208–4, के.एल.एस. 9–3, के.एल.बी. –345 की बुवाई करें।
- रबी राजमा की क्षेत्रीय संस्तुत किस्मों यथा पी.डी.आर.–14, मालवीय–137, बी.एल.–63, उत्कर्ष, अम्बर व अरूण की बुवाई उचित तापक्रम पर करें।
- अरहर की शीघ्र पकने वाली किस्मों में फूल बनते समय कीटों का प्रकोप होने पर बी.टी. 5 प्रतिशत डब्लू.पी. 1.5 कि.ग्रा. अथवा इन्डाक्साकार्ब 14.5 एस.सी. 400 मि.ली. अथवा क्यूनालफास 25 ई.सी. 1.50 ली. अथवा फेनवेलरेट 20 ई.सी. 750 मि.ली. प्रति हे. की दर से 800–1000 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें।

जौ की खेती

- असिंचित दशा में जौ की खेती का समय 20 अक्टूबर है अतः जौ की उन्नतिशील छिलका युक्त किस्मों यथा आजाद (के–125), के–141, हरितमा (के.–560), लखन (के–226), के–603, एन.डी.बी.–1173 तथा छिलका रहित प्रजाति गीतांजली (के–1149) के बीज की व्यवस्था कर समय से बुवाई करें। असिंचित दशा में प्रति हेक्टेयर 100 किग्रा. बीज की आवश्यकता होगी। भूमि व बीज शोधन गेहूँ की भॉति करें।

गेहूँ की खेती

- गेहूँ की असिंचित दशा में बुवाई हेतु भावर व तराई क्षेत्रों में संस्तुत उन्नतशील किस्मों एच.यू.डब्लू.–533, के–8027, के. 9351, एच.डी.–2888, पश्चिमी मैदानी क्षेत्र व मध्य पश्चिमी मैदानी क्षेत्र में के–8027 (मगहर), एच.यू.डब्लू.एस.–533, दक्षिणी पश्चिमी अर्धशुष्क क्षेत्र में के.–8027, एच.यू.डब्लू.–533, के–9351, मध्य मैदानी क्षेत्रों में के–8962, के–9465, मालवीय–533, के–9351, एच.डी.–2888, बुंदेलखण्ड क्षेत्र में सी.–306, सुजाता के–8962, के–8962, के–9465, के–9351, एच.डब्लू.–2004, अरनेज (9–30–1, लोक–1, एच.डी. –2888, उत्तरी पूर्वी मैदानी क्षेत्र व पूर्वी–मैदानी क्षेत्र में के–8952, के–9465, के–9351, एच.डी.आर.–77, एच.यू.डब्लू.–533, एच.डी.–2888 तथा विन्ध्य क्षेत्र में के–8962, के 9465, के 9351, एच.यू.डब्लू.–533, एच.डी.–2888 आदि की बुवाई करें।
- असिंचित दशा में कठिया (ड्यूरम) गेहूँ की संस्तुत किस्मों अरनेज 9–30–1, मेघदूत, विजया यलो जे.यू.–12, जी.डब्लू–2, एच.डी.–4672, सुजाता तथा एच.आई.–8627 के बीज की व्यवस्था करें तथा अक्टूबर के अन्तिम सप्ताह से बुआई करें।
- गेहूँ की बुआई लाईनों में उचित गहराई (4–6 सेमी.) पर पर्याप्त नमी रहते करें।
- असिंचित दशा में संस्तुत नत्रजन, फास्फोरस एवं पोटाश की सम्पूर्ण मात्रा बुवाई के समय दे।

- यदि बीज शोधित न हो तो अनावृत कण्डुआ एवं करनाल बन्ट के नियंत्रण हेतु थीरम 75 प्रतिशत डब्लू.एस.की 2.5 ग्राम अथवा कार्बेन्डाजिम 50 प्रतिशत डब्लू.पी. की 2.5 ग्राम अथवा कार्बाक्सिन 75 प्रतिशत डब्लू.पी. की 2.0 ग्राम अथवा टेबूकोनाजोल 2 प्रतिशत डी.एस. की 1.0 ग्राम प्रति किग्रा. अथवा 5 ग्रा. ट्राइकोडर्मा बिरडी/हार्जेनियम प्रति किग्रा. बीज की दर से बीज शोधन कर बुआई करना चाहिए।
- भूमि जनित एवं बीज जनित रोगों के नियन्त्रण हेतु बायोपेस्टीसाइड (जैव कवकनाशी) ट्राईकाडर्मा विरडी 1 प्रतिशत डब्लू.पी. अथवा ट्राइकोडर्मा हारजिएनम 2 प्रतिशत डब्लू.पी. की 2.5 किग्रा. प्रति हे. 60–75 किग्रा. सड़ी हुई गोबर की खाद में मिलाकर हल्के पानी का छींटा देकर 8–10 दिन तक छाया में रखने के उपरान्त बुआई से पूर्व आखिरी जुताई पर भूमि में मिला देने से अनावृत्त कण्डुआ, करनाल बन्ट आदि रोगों के प्रबन्ध में सहायता मिलती है।
- यदि अपना बीज प्रयोग कर रहे हो तो गेहूँ की बुवाई से पहले जमाव प्रतिशत अवश्य देख लें। यदि बीज अंकुरण क्षमता 85 प्रतिशत से कम हो तो उसी के अनुसार बीज की दर बढ़ा लें तथा यदि बीज प्रमाणित न हो तो उसका शोधन अवश्य करें, साथ ही बीजों को एजेटोबैक्टर व पी.एस.बी. से उपचारित कर बुवाई करें।

मक्का की खेती

- रबी मक्का की संकर किस्मों यथा पी.एम.एच.–3, एच.क्यू.पी.एम.–1, सीडटेक–2324, शक्तिमान–1, बुलन्द तथा संकुल मक्का की किस्मों शरदमणी, शक्ति–1, शियाट्स मक्का–3 लावा हेतु पर्ल–पॉपकॉर्न, अम्बर–पापकार्न, वी.एल. अम्बर–पापकार्न, मीठी मक्का की प्रिया स्वीट कॉर्न व माधुरी स्वीट कॉर्न तथा बेबी कार्न हेतु एच.एम.–4 आजाद कमल (संकुल) व प्रकाश किस्मों की बुआई करें।

गन्ना की खेती

- शरदकालीन गन्ना बुवाई हेतु उपयुक्त समय एवं तापक्रम चल रहा है। अतः किसान भाई गन्ने की बुवाई दिनांक 30 अक्टूबर, 2023 तक अवश्य पूर्ण कर लें। प्रदेश में स्वीकृत गन्ना किस्मों यथा को.शा.–13235, को.लख. –14201 को.15023, को.शा.–17231, को.शा.–16233, को.से.–13452 तथा सी.ओ. 0118 की बुवाई करें।
- सिंगल बड द्वारा तैयार गन्ने की नर्सरी की पौध की रोपाई खेत खाली होने पर तुरंत करें, लाइन से लाईन की दूरी 4 फुट तथा पौधे से पौधे की दूरी 1 फुट रखें।
- बुवाई के समय मृदा उपचार ट्राइकोडर्मा 10 किग्रा प्रति हेक्टेयर से अवश्य करें। लाल सड़न रोग से प्रभावित खेत में गन्ने की बुवाई न करें तथा पेड़ी भी न लें।
- बीज गन्ने का उपचार बावस्टिन 0.1 प्रतिशत अथवा थायोफिनेट मिथाईल 0.1 (1 ग्राम प्रति ली. पानी) प्रतिशत से अवश्य करें।

सब्जियों की खेती

- रबी सब्जियों यथा फूलगोभी, पातगोभी, शिमला मिर्च, टमाटर, संकर टमाटर आदि की तैयार पौध की रोपाई करें तथा पूर्व में रोपित पौध में निराई–गुड़ाई, मिट्टी चढ़ाना, टॉप ड्रेसिंग एवं आवश्यकतानुसार सिचाई करें व कीट व्याधियों का नियंत्रण करें। पालक, मूली, शलजम, चुकंदर, गाजर की संस्तुत प्रजातियों की बुवाई करें।
- मटर की मध्य एवं पछेती किस्मों यथा आजाद मटर–1, आजाद मटर–2, जवाहर मटर–83, पी. 3, काशी शक्ति आदि की बुवाई करें।
- लहसुन की उन्नतशील किस्मों यथा एग्रीफाउन्ड व्हाईट, यमुना सफेद (जी–1), यमुना सफेद–2 (जी–50), यमुना सफेद–3 (जी–282), पंत लोहित एवं एग्रीफाउन्ड पार्वती की बुवाई करें।
- मसाले वाली फसलें जैसे–धनिया, सौंफ, मेथी, कलौंजी, अजवाइन, जीरा तथा सोया की बुवाई का उचित समय है।
- मृदा परीक्षण कराने के उपरांत जिंक तथा आयरन की कमी की स्थिति में 25 कि.ग्रा. जिंक सल्फेट तथा 5 से 10 कि.ग्रा. फेरस सल्फेट प्रति हे. की दर से बुवाई से पहले प्रयोग करें।
- बुवाई के 7–10 दिन पहले शीत भण्डार से बीज आलू को बाहर निकालें। शीत भण्डारण में भण्डारित बीज में यदि अंकुर निकल आये तो उनको छांटकर अलग कर दें। यदि शीत गृह में भण्डारण करने से पूर्व आलू उपचारित न किया गया हो तो शीतगृह से आलू निकालकर छांटने के तुरंत बाद आलू के कंदों को बोरिक एसिड के 3 प्रतिशत घोल से 30 मिनट तक उपचारित करके छायादार स्थान में सुखा लें। अंकुरित आलू बीज को उपचारित न करें।

वानिकी

- कम्पोस्ट/पॉटिंग मिश्रण आवश्कतानुसार तैयार करें।
- किसान कृषि के साथ–साथ अपने खेतों में खाली पड़ी जमीन जैसे मेड़ या खेत के किनारे पर पेड़ लगाकर अपनी आय में वृद्धि कर सकते हैं। इससे उनकी वृक्षों से संबंधित आवश्यकताएं जैसे जलाऊ लकड़ी, फल, इमारती लकड़ी इत्यादि प्राप्त होगी। किसान उक्त के संबंध में जानकारी तहसील स्तर पर रेन्ज कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है। इन वृक्षों की देखभाल एक से दो वर्ष तक करने की आवश्यकता होती है।

क्रॉप वेदर वॉच ग्रुप की अगली बैठक दिनॉक 02 नवम्बर, 2023 को अपराह्न 12:00 बजे आयोजित की जायेगी।

नोटः– क्रॉप वेदर वॉच ग्रुप की बैठक की संस्तुतियां वेबसाईट *upcar.up.gov.in* पर भी उपलब्ध है।

19.10.23

(पियूष कुमार शर्मा)
सचिव

प्रतिलिपिः उपरोक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री, कृषि, कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान, उ.प्र. शासन को माननीय मंत्री जी के अवलोकनार्थ।
2. निजी सचिव, माननीय राज्य मंत्री, कृषि, कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान, उ.प्र. शासन को माननीय राज्य मंत्री जी के अवलोकनार्थ।
3. निजी सचिव, माननीय अध्यक्ष, को माननीय अध्यक्ष जी के अवलोकनार्थ।
4. स्टाफ ऑफीसर, मुख्य सचिव, उ.प्र. शासन, लखनऊ।
5. निजी सचिव, कृषि उत्पादन आयुक्त, उ.प्र. शासन को महोदय के सूचनार्थ।
6. अपर मुख्य सचिव, कृषि, कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान, उ.प्र. शासन, लखनऊ।
7. अपर मुख्य सचिव, उद्यान, उ.प्र. शासन।
8. अपर मुख्य सचिव, पशुपालन, उ.प्र. शासन।
9. अपर मुख्य सचिव, मत्स्य, उ.प्र. शासन।
10. अपर मुख्य सचिव, रेशम, उ.प्र. शासन।
11. अपर मुख्य सचिव, नियोजन योजना भवन, लखनऊ।
12. कुलपति, च.शे.आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर, आ.न.दे.कृ. एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कुमारगंज, अयोध्या, सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मोदीपुरम, मेरठ, बॉदा कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, बॉदा, सै. हिग्गिनबॉटम कृषि, प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान विश्वविद्यालय, प्रयागराज।
13. गन्ना आयुक्त, गन्ना आयुक्त कार्यालय, 17 न्यू बेरी रोड, गन्ना किसान संस्थान, डालीबाग, लखनऊ।
14. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद उ.प्र., केसरबाग, लखनऊ।
15. समस्त जिलाधिकारी, उ.प्र.।
16. निदेशक कृषि, कृषि भवन, लखनऊ।
17. निदेशक, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, रायबरेली रोड, लखनऊ।
18. निदेशक, केन्द्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान, लखनऊ।
19. निदेशक, राष्ट्रीय मत्स्य आनुवांशिकी संसाधन ब्यूरो, लखनऊ।
20. अध्यक्ष, केन्द्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान, क्षेत्रीय अनुसंधान केन्द्र, लखनऊ।
21. निदेशक, उ.प्र. गन्ना शोध परिषद, शाहजहांपुर।
22. निदेशक, रेशम, रेशम विभाग, गोमती नगर, लखनऊ।
23. निदेशक, मत्स्य, मत्स्य निदेशालय, फैजाबाद रोड, लखनऊ।
24. निदेशक, उद्यान, उद्यान विभाग, लखनऊ।
25. निदेशक, पशुपालन, पशुपालन विभाग, लखनऊ।
26. निदेशक, राज्य कृषि प्रबंधन संस्थान, रहमानखेड़ा, लखनऊ।
27. प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं विभागाध्यक्ष, वन विभाग, 17 राणा प्रताप मार्ग, नरही, लखनऊ।
28. प्रबन्ध निदेशक, बीज विकास निगम, बादशाहनगर, लखनऊ।

29. निदेशक, सांख्यिकी, कृषि विभाग, उत्तर प्रदेश।
30. निदेशक प्रसार, च.शे.आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर/ आ.न.दे.कृ. एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कुमारगंज, अयोध्या/ सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मोदीपुरम, मेरठ/ बाँदा कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, बाँदा/ सै. हिग्गिनबॉटम कृषि, प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान विश्वविद्यालय, प्रयागराज।
31. निदेशक, दूरदर्शन, लखनऊ।
32. निदेशक, आकाशवाणी, लखनऊ।
33. निदेशक, रिमोट सेन्सिग एप्लीकेशन सेण्टर, सेक्टर जी, जानकीपुरम, कुर्सी रोड, लखनऊ।
34. निदेशक, कृषि मौसम, मौसम केन्द्र, अमौसी, लखनऊ।
35. निदेशक सूचना, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, उ.प्र. लखनऊ।
36. अपर कृषि निदेशक(सामान्य), कृषि निदेशालय, कृषि भवन, लखनऊ।
37. अपर कृषि निदेशक, प्रसार, कृषि भवन, लखनऊ।
38. अपर कृषि निदेशक, कृषि रक्षा, कृषि भवन, लखनऊ।
39. संयुक्त कृषि निदेशक, शोध एवं मृदा सर्वेक्षण, कृषि भवन, लखनऊ को किसान कॉल सेंटर के उपयोगार्थ प्रेषित।
40. कृषि विभाग के सभी संयुक्त कृषि निदेशक, उप कृषि निदेशक एवं जिला कृषि अधिकारी
41. प्रदेश के 20 कम्युनिटी रेडियो।
42. प्रदेश के समस्त कृषि विज्ञान केन्द्र
43. बैठक में उपस्थित संबंधित अधिकारी/वैज्ञानिक।
44. निजी सचिव महानिदेशक, उपकार को महानिदेशक महोदय के सूचनार्थ।

18-10-23

(विनोद कुमार तिवारी)
वैज्ञानिक अधिकारी एवं सदस्य सचिव

संलग्नक

मौसम आधारित राज्य स्तरीय कृषि परामर्श समूह (क्राप वेदर वाच ग्रुप) की वर्ष 2023–24 की चौदहवीं बैठक दिनांक 19 अक्टूबर, 2023 की उपस्थिति

1. श्री पीयूष कुमार शर्मा, सचिव, उपकार, लखनऊ
2. डा. संजीव कुमार, उपमहानिदेशक, उपकार, लखनऊ
3. डा. टी.के. श्रीवास्तव, प्रधान वैज्ञानिक एवं प्रभारी मौसम विभाग, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, रायबरेली रोड, लखनऊ (ऑनलाइन)
4. डा. विजय बहादुर द्विवेदी, संयुक्त निदेशक शाकभाजी, उद्यान भवन, सप्रू मार्ग लखनऊ।
5. डा. सौरभ दीक्षित, राईस ब्रीडर, क्राप रिसर्च स्टेशन, मसौधा, आचार्य, नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय,अयोध्या।
6. डा. दिनेश शाह, प्राध्यापक, शस्य विज्ञान एवं इंचार्ज, एग्रोमेट आबजरवेट्री, बांदा कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, बांदा। (ऑनलाइन)
7. डा. राकेश चौधरी, वैज्ञानिक, अनुवांशिकी एवं पादप प्रजनन विभाग, रानी लक्ष्मी बाई केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, झांसी। (ऑनलाइन)
8. डा. अनसुमान सिंह, वैज्ञानिक, अनुवांशिकी एवं पादप प्रजनन विभाग, रानी लक्ष्मी बाई केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, झांसी। (ऑनलाइन)
9. डा. अनूप कुमार दीक्षित, प्रधान वैज्ञानिक, क्राप प्रोडक्शन डिवीजन, आईजीएफआरआई, झांसी। (ऑनलाइन)
10. डा. सुरेन्द्र कुमार सिंह, प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष (कीट विज्ञान विभाग), बांदा कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, बांदा (ऑनलाइन)
11. डा. यू.पी. शाही, प्राध्यापक मृदा विज्ञान एवं प्रधान अन्वेषक, ग्रामीण कृषि मौसम सेवा (जीकेएमएस) (ऑनलाइन)
12. श्री अमर सिंह, संयुक्त गन्ना आयुक्त, गन्ना विभाग, उत्तर प्रदेश।
13. डा. एस. सी. शुक्ला, संयुक्त निदेशक, पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश।
14. श्री अतुल कुमार सिंह, प्रभारी वैज्ञानिक, आंचलिक भारतीय मौसम विज्ञान केन्द्र, अमौसी, लखनऊ।
15. श्री ए.के.शुक्ला, सहायक निदेशक, मत्स्य विभाग, उत्तर प्रदेश।
16. श्री अमरनाथ मिश्र, सहायक प्राध्यापक (कृषि मौसम), नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, अयोध्या।
17. डा. प्रवीन चरन, टेक्नीकल आफीसर, जी.के.एम.एस. परियोजना कालेज ऑफ फारेस्ट्री शुआट्स, प्रयागराज।
18. श्री नीरेन्द्र कमार, रेशम विकास अधिकारी, रेशम, उत्तर प्रदेश।
19. श्री नितेश सहाय, रेशम विकास विभाग, उत्तर प्रदेश।